न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 6244 / 2001 / धौलपुर

1– रामबाबू पुत्र कुमरसेन
2– श्रीभगवान पुत्र रतीराम "मृतक" जरिये वारिसान :–
2/1– शीला पत्नि स्व. श्रीभगवान,
2/2– अतवीर पुत्र स्व. श्रीभगवान,
2/3– गोकुल पुत्र स्व. श्रीभगवान
2/4– इन्द्रा पुत्री स्व. श्रीभगवान,
3– ग्याप्रसाद पुत्र रतीराम
4– निहालसिंह पुत्र रतीराम "मृतक" जरिये वारिसान :–
4/1– चन्द्रवती पत्नि स्व. निहालसिंह,
4/2– ख्यालीराम पुत्र स्व. निहालसिंह,
4/3– किरनदेई पुत्री स्व. निहालसिंह,
4/4– पूजा पुत्री स्व. निहालसिंह,
समस्त जाति लोधा, निवासीगण ग्राम मरैना, तहसील राजाखेडा, जिला धौलपुर ।

अपीलान्टस

बनाम

1. खमानी पुत्र नाथू
2. पूरन पुत्र नाथू "मृतक" जरिये वारिसान,
2/1. माया पत्नी स्व. पूरन,
2/2. बहादुर पुत्र स्व. पूरन "मृतक" जरिये वारिसान :–
2/2/1. लालवती पत्नी स्व. बहादुर
2/2/2. योगेन्द्र पुत्र स्व. बहादुर
2/2/3. नीतेश पुत्र स्व. बहादुर
2/2/4 पूनम पुत्री स्व. बहादुर
2/3. दिनेश पुत्र स्व. पूरन
2/4. मिन्टम पुत्र स्व. पूरन
2/5. सौमोती पुत्री रव. पूरन
2/6. बेबी पुत्री स्व. पूरन
3– द्वारिका प्रसाद पुत्र बुद्धा "मृतक" जरिये वारिसान :–
3/1. अतरसिंह पुत्र स्व. द्वारिका प्रसाद
3/2. अमरसिंह पुत्र स्व. द्वारिका प्रसाद
4– लक्ष्मण पुत्र बुद्धा "मृतक" जरिये वारिसान :–
4/1. विजै सिंह पुत्र स्व. लक्ष्मण,
4/2. गंगा देवी पत्नि स्व. लक्ष्मण,

4/3. कमला पुत्री स्व. लक्ष्मण
4/4. भूरी पुत्री स्व. लक्ष्मण,
4/5. मथुरा पुत्री स्व. लक्ष्मण
5– नेकराम पुत्र बुद्धा "मृतक" जरिये वारिसान :–
5/1. रमेश पुत्र स्व. नेकराम
5/2. सोरन पुत्र स्व. नेकराम,
5/3. श्रीमति केशर पुत्री स्व. नेकराम
5/4. कलावती पत्नी नेकराम, "मृतक"
6– मदन पुत्र चिरोंजी "मृतक" जरिये वारिसान :–––
6/1. मिन्टम पुत्र स्व. मदन
समस्त जाति लोधा, निवासी ग्राम मरैना, तहसील राजाखेडा, जिला धौलपुर
7– राजस्थान सरकार तामील जरिये पैरोकार सरकार

रेस्पोडेन्टस

खण्ड–पीठ
डॉ0 शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :–

श्री अजयपाल ढिढारिया , विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।

श्री जी.एस.लखावत , विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण।

निर्णय **दिनांकः 5–6–26**

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर कैंप धौलपुर द्वारा अपील सं. 75/90 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–8–01 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी धौलपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम इन्द्रावली, तहसील राजाखेड़ा के आराजी खसरा नं0 416/1, 417/1, 416/2, 417/4, 416/3, 417/2, 417/3 के वादीगण रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। साबिक बसरा नं० 415/1 मिन, 415/2 मिन 416 मिन के हाल खसरा नम्बर– 367 रकबा 6 बिस्वा बना है । एक बिस्वा रकबा सड़क में चला गया किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने खसरा नं0 367 को प्रतिवादी अपीलान्ट सं० 2 लगायंत 4 के नाम दर्ज कर दिया है और उन्होंने उक्त खसरा नम्बर को प्रतिवादी अपीलान्ट सं०1 को विक्रय कर दिया

है। अतः प्रतिवादीगण विवादित आराजी खसरा नं0 367 पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं इसलिये खसरा नम्बर– 367 रकबा 6 बिस्वा में से 5 बिस्वा का वादी–गण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। न्यायालय उपखंड अधिकारी धौलपुर ने उभय पक्ष को सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 6–3–90 के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने प्रथम अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर केम्प धौलपुर के यहाँ प्रस्तुत की जिसे निर्णय व डिक्री दिनांक 17–8–2001 से खारिज किये जाने से व्यथित होकर हस्तगत् द्वितीय अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियां कायम नहीं की जब तक तनकी बनाकर पक्षकारों की शहादत नहीं ली जायेगी तब तक मौके या वाद की वस्तुस्थिति पर निश्चित रूप से नहीं पहुंचा जा सकता है इसलिये विचारण न्यायालय ने वाद का विचारण किये बिना ही वाद को डिक्री करने में महत्वपूर्ण भूल की है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय का आधार मात्र पटवारी की रिपोर्ट को माना है। उक्त रिपोर्ट सही है या गलत, जवाब के लिये अपीलान्टगण को कोई मौका दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट से कैसे सहमत है इस संबंध में बिना कोई फाइन्डिग्स एवं पटवारी के बयान लिये मात्र उक्त एक तरफा रिपोर्ट को आधार मानते हुये वादी रेस्पो० का वाद डिक्री कर दिया उक्त बिन्दु अपीलान्ट प्रतिवादीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी उठाया गया था किन्तु विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दु को नजरअन्दाज कर अपील खारिज कर महत्वपूर्ण भूल की है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा महज पटवारी हल्का द्वारा दी गई एक तरफा रिपोर्ट को ही मुख्य आधार मानकर वादी का दावा डिक्री कर दिया जो कि प्रथम दृष्ट्या ही गैर कानूनी है क्योंकि दावा डिक्री करने में पटवारी हल्का की रिपोर्ट राईट आफ रिकोर्ड की परिभाषा में नहीं आती है एवं ऐसी एक तरफ रिपोर्ट को सर्वसत्य नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार दोनों ही अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय प्रथम दृष्ट्या ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्धारित खातेदारी प्राप्त करने के कानूनी प्रावधानों के एकदम विपरीत है । विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दावा, जवाब–दावा एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर वादपत्र में बिना कोई तनकियात कायम किये उन पर कानूनी विवेचन किये बिना ही अपने निर्णय दिनांक 6–3–90 के द्वारा वाद डिक्री कर दिया। ऐसा निर्णय जाब्ता दीवानी में निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश– 20 नियम 5 के एक दम विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय का

समर्थन करने में त्रुटि कारित की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाये। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आरबीजे 2019 पेज 133, आरआरटी 2016–ा पेज 689, आबीजे 2011 पेज 163, आरआरटी 2008 वोल्यूम–2 पेज 1090 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया।

4– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है। विवादित आराजी के वादीगण रेस्पोडेंट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। खसरा नंबर 367 श्रीभगवान के नाम बंदोबसत में गलत दर्ज हुआ। उसने रामबाबू को बेच दिया। बंदोबस्त विभाग को रिकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। उक्त समस्त तथ्यों की जांच पीठासीन अधिकारी द्वारा मौके पर की गई। पटवारी रिपोर्ट एवं मौका निरीक्षण के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण विवेचन उपरांत निर्णय पारित करते हुए वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है। अपीलीय न्यायालय ने भी इसका समर्थन करते हुए अपीलार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया है। इस प्रकार दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है और अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसमें अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील खारिज की जावे ।

5– उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली के साथ दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी/रेस्पो0 द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 (स्थाई निषेधाज्ञा) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी धौलपुर के समक्ष विवादित आराजी के संबंध में पेश किया, जिसे उपखंड अधिकारी धौलपुर ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर सुनवाई कर निर्णय दिनांक 6–3–90 के द्वारा डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर कैंप धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे निर्णय दिनांक 17–8–01 से खारिज किये जाने पर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में मुख्य विवाद खसरा नंबर 367 को लेकर है। खसरा नंबर 367 को श्री भगवान द्वारा अपीलांट रामबाबू को जरिये विक्रय पत्र बेचान किया गया। विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 367 रकबा 6 बिस्वा पुराने खसरा नंबर 415/1 मिन, 415/2 मिन व 416 मिन से बने है, जो रेस्पोडेंट के है। अपीलांट द्वारा हाल खसरा नंबर 367 को अपना बताया गया किंतु अपीलांट यह साबित करने में

विफल रहा है कि खसरा नंबर 415 / 1, 415 / 2 व 416 मिन उसकी खातेदारी का रकबा रहा है और ना ही अपीलांट द्वारा बंदोबस्त से पूर्व का कोई रिकार्ड पेश किया गया जिससे यह साबित हो सके कि गत खसरा नंबर अपीलांट की खातेदारी का हो। अपीलांट का खातेदारी का रकबा खसरा नंबर 97 व 366 होना पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है। गलत इंद्राज के आधार पर अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। उपखंड अधिकारी ने स्वयं हल्का पटवारी के साथ मौका देखे जाने के पश्चात् ही विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये वादी रेस्पोडेंट का वाद डिक्री किया गया है। अपीलांट की द्वितीय अपील में मुख्य आपत्ति यह रही है कि विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियां कायम नहीं की। इस संबंध में खंडपीठ के विनम्र मत में वाद के निस्तारण हेतु प्रकरण के तथ्यों एवं प्रस्तुत कथनों के आधार पर तनकीयां कायम करना अथवा न करना विचारण न्यायालय का विवेकाधिकार है। दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये उनके समक्ष उपलब्ध राजस्व अभिलेख यथा दस्तावेज व मौका निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट एवं ठोस निष्कर्ष अंकित करते हुये वादी रेस्पोडेंट का वाद डिक्री किया है। विचारण न्यायालय द्वारा मात्र तनकीया कायम नहीं किये जाने के आधार पर अपीलांट विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करवा सकता।

7— उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी धौलपुर ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण द्वारा निर्णय दिनांक 6—3—90 से वाद स्वीकार कर डिक्री पारित करने एवं योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैंप धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 17—8—01 से योग्य विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में विधि या तथ्य संबंधी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की है। उक्त दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें विधि या तथ्य संबंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि प्रकट नहीं हैं, जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8— परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस न्यायालय की निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(डॉ0शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य